Gyanshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 GISRRJ | Volume 2 | Issue 3 | ISSN : 2582-0095

सामाजिक विकास : सहकारी आन्दोलन

डॉ० देवेन्द्र प्रसाद
सहायक प्राध्यापक, पी0के0 रॉय मेमोरियल महाविद्यालय, धनबाद, (झारखण्ड)

Article Info
Volume 2 Issue 3
Page Number : 162-174

Publication Issue :
May-June-2019

Article History
Accepted : 20 June 2019
Published : 30 June 2019

शोधसारांश – इंग्लैण्ड में रस्किन तथा कार्लाइल ने उपयोगितावादियों को विरोध किया, उसी प्रकार गाँधी ने मार्क्स से प्रभावित उन लोगों के विचारों का खण्डन किया जो भारतीय समाज को एक औद्योगिक समाज में बदलना चाहते थे। वैश्वीकरण ने दो समान्तर दुनियाएँ खड़ी कर दी है। एक दुनिया वह है जिसके पास आय है, शिक्षा और शैक्षिक संपर्क है, उसके लिए सूचना प्राप्त करना सरल और सुविधाजनक है और दूसरी ओर दूसरी दुनिया वह है जो अनिश्चित है, धीमी है और जिसके लिए सूचना तक पहुंचना मंहगा है। जब ये दोनों दुनियाएँ साथ–साथ रहती हैं और प्रतियोगिता करती हैं तो निश्चित रूप से गरीबों को दुनिया पिछड़ जाती है।

मुख्य शब्द– सामाजिक, सहकारी, आन्दोलन, इंग्लैण्ड, रस्किन, कार्लाइल, गाँधी, मार्क्स।

गांधी जी का सम्पूर्ण दर्शन उनके नैतिक समाज की अवधारणा पर आधारित है। गांधी जी का मानना था कि जब तक स्वस्थ और व्यवस्थित समाज नहीं बनेगा, तब तक अच्छी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं विकसित नहीं हो सकता हैं। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता तथा व्यवस्था परस्पर सम्बद्ध हैं और इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता । हमारा अतीत शनदार था और हमने दुनिया का मार्गदर्शन किया। यदि भारत को अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करना है तो समाज सुधारकों तथा समाज के अन्य नेताओं को आदर्श समाज बनाने के लिए सतत प्रयत्न करना होगा।

महात्मा गांधी जान रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक **"अन टू दा लास्ट"** से बहुत अधिक प्रभावित थे। गांधी जी के द्वारा रस्किन की इस पुस्तक का गुजराती भाषा में सर्वोदय शीर्षक से अनुवाद किया गया। इस में तीन आधारभूत तथ्य थे –

(i) सबके हित में ही व्यक्ति का हित निहित है।

Copyright : © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

(ii) एक नाई का कार्य भी वकील के समान ही मूल्यवान है क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने कार्य से स्वयं की आजीविका प्राप्त करने का अधिकार होता है, और

(iii) श्रमिक का जीवन ही एक मात्र जीने योग्य जीवन है।

गांधी जी ने इन तीनों कथन के आधार पर अपनी सर्वोदय की विचारधारा को जन्म दिया। सर्वोदय का अर्थ है सब की समान उन्नति। एक व्यक्ति का भी उतना ही महत्व है जितना अन्य व्यक्तियों का सामूहिक रूप से है। सर्वोदय का सिद्धान्त गांधी ने बेन्थम तथा मिल के उपयोगतिवाद के विरोध में प्रतिस्थापित किया। उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्रदान करना पर्याय माना। उन्होंने कहा कि किसी समाज की प्रगति उसकी धन सम्पत्ति से नहीं मापी जा सकती, उसकी प्रगति तो उसके नैतिक चरित्र से आंकी जानी चाहिये जिस प्रकार इंग्लैण्ड में रस्किन तथा कार्लाईल ने उपयोगितावादियों को विरोध किया उसी प्रकार गांधी ने मार्क्स से प्रभावित उन लोगों का। सर्वोदय का अर्थ है सब की समान उन्नति। एक व्यक्ति का भी उतना ही महत्व है जितना अन्य व्यक्तियों का सामूहिक रूप से है। सर्वोदय का सिद्वान्त गांधी ने बेन्थम तथा मिल के उपयोगतिवाद के विरोध में प्रतिस्थापित किया। उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख प्रदान करना पर्याय माना। उन्होंने कहा कि किसी समाज की प्रगति उसकी धन सम्पत्ति से नहीं मापी जा सकती, उसकी प्रगति तो उसके नैतिक चरित्र से आंकी जानी चाहिये। जिस प्रकार इंग्लैण्ड में रस्किन तथा कार्लाईल ने उपयोगितावादियों को विरोध किया, उसी प्रकार गांधी ने मार्क्स से प्रभावित उन लोगों के विचारों का खण्डन किया जो भारतीय समाज को एक औद्योगिक समाज में बदलना चाहते थे।

सर्वोदय समाज अपने व्यक्तियों को इस तरह से प्रशिक्षित करता है कि व्यक्ति बडी से बडी कठिनाइयों में भी अपने साहस व धैर्य कसे त्यागता नहीं है। उसे यह सिखाया जाता है कि वह कैसे जिये तथा सामाजिक बुराइयों से कैसे बचे। इस तरह सर्वोदय समाज का व्यक्ति अनुशासित तथा संयमी होता है यह समाज इस प्रकार की योजनाएं बनाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी मिल सके अथवा कोई ऐसा कार्य मिल सके जिससे उसकी आवाश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को श्रम करना पडता है।

सर्वोदय समाज पाश्चात्य देशों की तरह भौतिक संम्पन्नता और सुख के पीछें नहीं भागता है और न उसे प्राप्त करने की इच्छा ही प्रगट करता है, किन्तु यह इस बात का प्रयत्न करता है कि सर्वोदय समाज में रहने वाले व्यक्तियों जिनमें रोटी, कपडा, मकान, शिक्षा आदि है कि पूर्ति होती रहे ये वे सामान्य आवश्यकताओं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की हैं और जिनकी पूर्ति होना आवश्यक है।सर्वोदय की विचारधारा है कि सत्ता का विकेन्द्रकीकरण सभी क्षेत्रों में समान रूप में करना चाहिए क्योंकि दिल्ली का शासन भारत के

प्रत्येक गांव में नहीं पहुंच सकता। वेआर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने के पक्षधर है। इस समाज में किसी भी व्यक्ति का शोषण नही होगा क्योंकि इस समाज में रहने वाले व्यक्ति आत्म संयमी, धैर्यवान, अनुशासनप्रिय तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति से दूर रहते है। इस समाज के व्यक्ति भौतिक सुखों के पीछे नही भागते, इसलिए इनके व्यक्तित्व में न तो संघर्ष है और ही शोषणता की प्रवृति ही । यह अपने पास उतनी ही वस्तुओं का संग्रह करते हैं, जितनी इनकी आवश्यकताएँ है।

गांधी का मत था कि भारत के गांवों का संचालन दिल्ली की सरकार नहीं कर सकती। गांव का शासन लोकनीति के आधार पर होना चाहिए क्योंकि लोकनीति गांव के कण कण में व्यापत है। लोकनीति बचपन से ही व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और कुछ कार्य को करने से रोकती है। इस तरह व्यक्ति स्वतः अनुशासित बन जाता है। सर्वोदय का उदय किसी एक क्षेत्र में उन्नति करने का नही है बल्कि सभी क्षेत्रों में समानरूप से उन्नति करने का है। वह अगर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कटिबद्ध है तो व्यक्ति को सत्य, अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए भी दृढसंकल्प है।

सहकारी आन्दोलनः–सहकारिता के विचार ने भारत में ठोस रूप सबसे पहले उस समय ग्रहण किया जब गॉवों में विधमान ऋण का भार का सामना करने के लिए 1904 में सहकारी ऋण समितियां अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में केवल ऋण समितियों की रचना के लिए ही व्यवस्था की गयी थी इसलिए गैर ऋण समितियों की रचना के लिए 1912 में एक दूसरा अधिनियम पास किया गया। दूसरी प्रकार की समितियों का काम गाँव केआधनियम पारित हुआ। इस अधिनियम में कवल ऋण समितियों की रचना के लिए ही व्यवस्था की गयी थी इसलिए गैर ऋण समितियों की रचना के लिए 1912 में एक दूसरा अधिनियम पास किया गया। दूसरी प्रकार की समितियों का काम गाँव के उत्पादन, क्रय विक्रय बीमा तथा आवास आदि का व्यवस्था करना था । इसके पश्चात भारत सरकार द्वारा 1914 में नियुक्ति की गयी मैकलेगन समिति ने सहकारी आन्दोलन में अधिकाधिक गैर सरकारी सहयोग के लिए सिफारिश की।

सहकारी अधिनियमः–1919 के अधिनियम के अनुसार यद्यपि सहकारिता को प्रान्तीय सरकार का विषय बना दिया गया तथापि भारत इस आन्दोलन के विकास में रूचि लेता रहा और 1935 में रिजर्व बैक में एक 'कृषि ऋण विभाग' खोला गया। 1945 में भारत सरकार द्वारा सहकारी योजना समिति नियुक्त की गयी जिसने यह सिफारिश की कि प्राथमिक समितियों की बहुउद्देशीय समितियों में बदल दिया जाय, ख्यले इसने एक सुझाव यह भी रखा कि रिजर्व बैक सहकारी समितियों की अधिक सहायता दे ।

रिजर्व बैंक का सर्वेक्षण :–1951 में रिजर्व बैंक ने एक निर्देशन समिति नियुक्त की जिसने देश की ग्रामीण ऋण व्यवस्था का सविस्तार सर्वेक्षण किया और दिसम्बर 1945 में अपना प्रतिवेदन प्रकाशितकर दिया। सर्वेक्षण से पता चला कि ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में 40 वर्षों के सहकारी प्रयास के बावजूद गाँवों में महाजनों और व्यापारियों का ही बोलबाला रहा। उन लोगों के लाभ के लिए जिनका सभी ओर से शोषण होता हो

सामाजिक आर्थिक नीतियों के परिपालन के विषय में सहकारी आन्दोलन की सार्थकता स्वीकार करते हुए समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची की अभी तक असफल होने के बावजूद सहकारी आन्दोलन सफल अवश्य होगा और इसकी सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जानी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति ने ग्रामीण ऋण के सम्बन्ध में एक संगठित योजना सुझायी । इस योजना के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि सरकार सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं में भाग ले, ऋण सम्बन्धी तथा अन्य आर्थिक कार्यों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाये, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का विकास किया जाए, गोदामों आदि की सुविधाओं की व्यवस्था हो। समिति ने इम्पीरियल बैक ने राष्ट्रीयकरण के लिए भी सिफारिश की जिससे वह अपनी शाखाओं के माध्यम से सहकारी तथा अन्य बैकों को भुगतान आदि की अधिक सुविधाएँ दे सके।

सहकारी विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने तथा राजय सरकारों की सहायता देने के उद्देश्य से समिति ने रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम' में उपयुक्त संशोधन करने तथा केन्द्र में एक राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं गोदाम मंडल स्थापित करने का भी सुझाव दिया।

समिति की सिफारिसों के अनुसार 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम' में मई 1955 में संशोधन कर दिया गया। एक संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को दो निधियों चालू करने का अधिकार दे दिया गया–(1) राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन) निधि तथा (2) राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि।

पहली निधि फरवरी 1956 में 10 करोड़ रूपये के प्रारम्भिक विनियोग के साथ चालू कर दी गयी जिसमें 1955–56 तथा 1957–58 में 5.5 करोड़ रूपये और सम्मिलित कर दिए गये। इसी प्रकार दूसरी निधि भी 1 करोड़ के प्रारम्भिक विनियोग के साथ 1956–57 में स्थापित की गयी जिसमें 1956–57 में 1 करोड़ रूपये और सम्मिलित कर दिए गये।

भारत सरकार की ओर से 'कृषि उत्पादन (विकास एवं गोदाम) निगम अधिनियम' के अन्तर्गत 1 सितम्बर 1956 को एक राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं गोदाम मंडल' स्थापित कर दिया गया। इसी अधिनियम के अन्तर्गत 2 मार्च 1967 को एक केन्द्रीयअधिनियम' में उपयुक्त संशोधन करने तथा केन्द्र में एक राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं गोदाम मंडल स्थापित करने का भी सुझाव दिया।

सहकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण :–इसी प्रकार सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजनाओं का कार्य भी आरम्भ किया जा चुका है। केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिति ने सभी प्रकार के सहकारी कर्मचरियों के प्रशिक्षण की एक सविस्तार योजना भी तैयार कर ली है। इस योजना के अर्न्तगत सहकारी विभागों के उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पूना में एक अखिल भारतीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रशिक्षण केन्द्र और भी है। 5 प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्रों में सहकारी हाट

व्यवस्था के विशेष पाठ्यक्रमों तथा इनमें से एक केन्द्र में भूमि के बन्धक रखे जाने से सम्बन्धित बैकिंग के विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गयी है।

ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति :–ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार द्वितीय योजना काल में सहकारी विकास का एक संगठित कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अल्पकालीन सहकारी ऋण के लिए 1.50 अरब रूपये, मध्यकालीन ऋण के लिए 50 करोड़ रूपये तथा दीर्घकालीन ऋण के लिए 25 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया है जो सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को 1960–61 के अन्त तक प्राप्त हो चुकेंगे। योजना में 10400 बड़ी समितियों, 1800 प्राथमिक हाट व्यवस्था समितियों, 35 सहकारी चीनी कारखानों, 48 सहकारी कपास ओटाई मिलों तथा 118 अन्य सहकारी विधायन समितियों के संगठन के लिए भी व्यवस्था की है। केन्द्रीय तथा राज्यीय गोदाम निगमों द्वारा 350 गोदामों, हाट व्यवस्था समितियों के लिए 11500 गोदामों तथा बड़ी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए 4000 गोदामों के निर्माण की व्यवस्था की गयी है । सरकारी विकास के क्षेत्रों में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कार्य सहकारी आन्दोलन के लिए वित्त की व्यवस्था करना है।

सहकारी आन्दोलन के स्तर :–सहकारी आन्दोलन सामान्यतः 3 हिस्सों में बँटा हुआ है, जिसके अनुसार राज्य स्तर परइसका एक महत्वपूर्ण कार्य सहकारी आन्दोलन के लिए वित्त की व्यवस्था करना है। केन्द्रीय समितियाँ तथा ग्राम स्तर पर प्राथमिक समितियाँ स्थापित की जाती है 5 व्यक्तियों से मिलकर बने एक औसत भारतीय परिवार को आधार मानकर साधारणतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 1955–56 के अन्त तक 8.81 करोड़ व्यक्तियों अथवा 22.8 प्रतिशत भारतीय जनता को सहकारिता का लाभ मिलने लगा था ।
1955–56 में देश में कुल 240395 सहकारी समितियाँ थी जिनके सदस्यों की संख्या 17621978 थी और जिनकी चालू पूँजी कुल मिला कर 4 अरब 68 करोड 81लाख 69 हजार रूपये की थी। 1955–56 में सहकारी समितियों को 626.95 लाख रूपये का लाभ हुआ जिसमें से राज्यीय तथा केन्द्रीय बैक को 114.56 लाख रूपये का राज्यीय तथा केन्द्रीय गैर ऋण समितियों को 123.63 लाख रूपये का प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को 139.80 लाख रूपये का अनाज बैकों को 17.25 लाख रूपये का प्राथमिक कृषि गैर ऋण समितियों को 2.80 लाख रूपये का प्राथमिक गैर कृषि ऋण समितियों को 143.21 लाख रूपये का प्राथमिक गैर कृषि ऋण समितियों को 71.59 लाख रूपये का तथा भूमि बन्धक बैकों को 14.11 लाख रूपये का लाभ हुआ ।

प्राथमिक समितियाँ :–गाँव के स्तर पर संगठित तथा व्यक्तिगत सदस्यों वाली प्राथमिक समितियाँ सहकारिता के आधार का काम करती है। जून 1956 के अन्त में सभी प्रकार की 240395 सहकारी समितियों में से 236426 प्राथमिक समितियाँ थी। वे अधिकांशतः (178443) ऋण सम्बन्धी कार्य ही करती थीं जिनमें से

168410 समितियाँ कृषि ऋण का तथा 10033 समितियाँ कृषि भिन्न ऋण का काम करती थी। शेष 30268 कृषि गैर ऋण समितियों की संख्या बढ़कर 3232400 हो गयी तथा इन प्राथमिक समितियों की सदस्य संख्या लगभग 52721थी।

1955–56 में कृषि सम्बन्धी ऋण समितियाँ अनाज बैक, गैर ऋण समितियाँ तथा प्राथमिक भूमि बन्धक बैक और कृषि भिन्न ऋण समितियाँ गैर ऋण समितियाँ तथा बीमा समितियाँ क्रमशः 159939; 8169; 30268 तथा 308 और 10003; 27745 तथा 30 थी । इनके सदस्य क्रमशः 7790850; 730428 2391826 तथा 313827 और 3072600; 3322447 286521 थे।

कृषि ऋण समितियाँ (Agricultural credit Societies) :– जून 1956 के अन्त में कृषि ऋण समितियों की चालू पूँजी 7910 करोड़ रूपये की थी। 1955–56 में 49.62 करोड़ रूपये के ऋण दिए गये, 59.84 करोड़ रूपये के अदत्त ऋण तथा 14.69 करोड़ रूपये के पिछले ऋण थे। 1966.67 में यह राशि 282510 और बढ़ गयी ।

सहकारिता आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य उसके आरम्भ काल से ही कृषकों के लिए कम ब्याज पर वित्त की व्यवस्था करना रहा है जिसे वे सुगमता से दे सकें। इस दिशा में थोड़ी ही सफलता प्राप्त हुई क्योंकि ब्याज की दरें फिर भी ऊँची ही रही ।

कृषि गैर ऋण समितियाँ – (Agricultural Non-Credit societies) – ये समितियाँ बीज, खाद तथा मशीनी औजार जैसी वस्तुएँ खरीदने के कृषि सम्बन्धी कार्य करती है।

1955–56 में ऐसी समितियों में से क्रय तथा विक्रय उत्पादन तथा विक्रय उत्पादन, समाज सेवा तथा आवास सम्बन्धी समितियाँ क्रमशः 2761; 15068 6530; 5681 तथा 228 थी जिनके सदस्य क्रमशः 451070; 1348757 389636 195558 तथा 6805थे।

गैर कृषि ऋण समितियाँ (Non-agricultural Credit societies) समितियों में कर्मचारी ऋण समितियाँ तथा शहरी बैक भी सम्मिलित रहते है। 1955–56 में इनके निक्षेप 53.54 करोड़ रूपये (चालू पूँजी का 62.44 प्रतिशत) के थे। इस वर्ष 2.42 करोड़ रूपये का सामान प्राप्त हुआ तथा 2.27 करोड़ रूपये की बिक्री हुई। जून 1967 के अन्त तक इन समितियों की संख्या 13616 थी और इनमें 194.03 करोड़ करोड़ रूपये डिपाजिट थे ।

गैर कृषि गैर ऋण समितियाँ (Other Non Agricultural Credit societies):– इन समितियों में से क्रय तथा विक्रय, उत्पादन तथा विक्रय उत्पादन, समाज सेवा, आवास तथा बीमा सम्बन्धी समितियाँ क्रमशः 8177 11524; 2557, 2728 तथा 30 थी जिनके सदस्यों की संख्या क्रमशः 1630 229 932608 154540 150470 171579 तथा 283021 थी।

प्राथमिक भूमि बन्धक बैक (Primary Land Mortgage Bank):– 1955–56 के अन्त में देश में 302 प्राथमिक भूमि बन्धक बैक थे जिनके सदस्यों की संख्या 313827 थी। इन बैंकों ने 1.74 करोड़ रूपये के ऋण दिए तथा इनकी चालू पूँजी 1.35 करोड रूपये की थी ऋण लेने वाले से साढ़े 5 से 10 प्रतिशत ब्याज लिया गया।

केन्द्रीय समितियाँ (Central Societies) :–ग्राम स्तर की प्राथमिक समितियों तथा राज्यीय स्तर की शीर्ष समितियों के बीच जिला स्तर की 3 प्रकार की केन्द्रीय समितियाँ होती है–(1) केन्द्रीय बैक तथा बैक संघ, (2) केन्द्रीय गैर ऋण समितियाँ तथा 3 केन्द्रीय भूमि बन्धक बैक।

केन्द्रीय बैंक तथा बैक संघ (Cental banks and federations):– केन्द्रीय सहकारी बैकों का मुख्य कार्य उससे सम्बद्ध बैकों के बीच सन्तुलन स्थापित करना तथा प्राथमिक समितियों के लिए धन उपलब्ध कराना है। 1955–56 में देश में 478 केन्द्रीय बैक संघ थे जिनके सदस्यों की संख्या 299555 थी, जिन्होंने 79 करोड़ 83 लाख 43 हजार रूपये के ऋण दिए तथा जिनकी चालू पूँजी 92 करोड़ 66 लाख 65 हजार रूपये की थी । 1955–56 के अन्त तक केन्द्रीय सहकारी बैकों ने 23.28 करोड़ रूपये का विनियोग कर रखा था जिसमें से 13.06 करोड़ रूपये सरकारी तथा अन्य न्यासी सिक्योरिटियों में लगे हुए थे। 1966–67 में इन बैकों की संख्या 346 तथा सदस्य संख्या 352365 थी तथा 49935 लाख रूपये ऋण में दिए गये थे।

केन्द्रीय गैर ऋण समितियाँ (Central non&credit societies):–इन समितियों में से हाट व्यवस्था, थोक तथा उपलब्धि, औद्योगिक, दुग्ध तथा अन्य प्रकार के संघ क्रमशः 2354; 114 113; 67 तथा 116 थे जिनके सदस्यों में व्यक्ति तथा समितियाँ क्रमशः 1803369; तथा 45365 9443 तथा 12275 तथा 10164 तथा 3534 9086 तथा 1276 और 12479 तथा 4469 थी।

केन्द्रीय भूमि बन्धक बैक (Central land mortgage banks) :– केन्द्रीय भूमि बन्धक बैक अपनी निधियों की पूर्ति मुख्यतः ऋणपत्र जारी करके करते है जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत होते है। 1955–56 के अन्त में 14.94 करोड़ रूपये के ऋणपत्र जारी थे और देश में ऐसे 9 बैक थे जिनके सदस्यों की संख्या 90786 थी।

शीर्ष समितियाँ :– राज्य स्तर पर कार्य करने वाली शीर्ष समितियाँ अपने से सम्बद्ध जिला स्तर की समितियों के संतुलन केन्द्रों के रूप में कार्य करती है ये समितियों दो प्रकार की होती है– 1. सरकारी बैक तथा 2. सरकारी गैर ऋण समितियाँ ।

सरकारी सहकारी बैक (**Government Cooperative banks**) – 1955–56 में देश में 24 सरकारी सहकारी बैक थे जिनके सदस्य 36394 तथा जिनकी चालू पूँजी 63 करोड 33 लाख 93 हजार रूपये की थी।

सरकारी गैर ऋण समितियाँ (Government non Credit Societies) – 1955–56 में इनमें से हाट व्यवस्था थोक तथा उपलब्धि, औद्योगिक, आवास तथा अन्य प्रकार के संघ क्रमशः 1995245 तथा 25 थे जिनके सदस्यों में व्यक्ति तथा समितियाँ क्रमशः 4014 तथा 3535; 1839 तथा 827; 1693 तथा 4579; 512 तथा 534 और 4295 तथा 1066 थी ।

अन्य संस्थाएँ :–निरीक्षण संघ (Supervision federation) :– 1955–56 में देश में 582 निरीक्षण संघ थे जिनसे 39254 समितियाँ सम्बद्ध थी। इन समितियों की सदस्य संख्या 3285936 तथा इनकी चालू पूँजी 5424 करोड़ रूपये की थी। 1966–67 में निरीक्षण संघ 788 हो गये और इनसे 45510 समितियाँ सम्बद्ध थी।

सहकारी संघ तथा सहकारी संस्थाएँ Cooperative federation and Cooperative institutions) :– जून 1956 के अन्त में देश में ऐसे 30 संघ थे जिनसे 41267 प्राथमिक तथा 713 केन्द्रीय समितियाँ सम्बद्ध थी । और इनके व्यक्तिगत सदस्य 1120 थे। इनको 3955 लाख रूपये की कुल आय हुई तथा इन्होंने कुल 45.32 लाख रूपये व्यय किये । बीमा समितियाँ (Insurance societies) – जून 1956 के अन्त में देश में 24 सहकारी जीवन बीमा समितियाँ थी जिनके सदस्य 278543 थे और जिन्होंने 5.25 करोड रूपये की बीमा राशि के लिए 39503 बीमा पत्र जारी किये। इनके अतिरिक्त 4 अग्नि तथा सहकारी सामान्य बीमा समितियाँ भी थी। 2 सहकारी मोटर बीमा समितियों ने 1955–56 में 2165 बीमापत्र जारी किये। 1955–56 के आरम्भ में 13616 सहकारी समितियाँ भंग की जा रही थी तथा इस वर्ष 2335 नयी समितियों पंजीकृत की गयी।

भूदान :–भूदान की विचाराधारा सर्वप्रथम 1953 में कोचपल्ली में उभर कर सामने आयी जब त विनोबा भावे की अपील पर एक धनाढ्य व्यक्ति ने अपनी भूमि का कुछ भाग भूमिहीनों के लिये दान कर दिया! विनोबा जी का यह विचार था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना यह कर्तव्य समझना चाहिए कि वह अपने पडोसी को लाभ पहुँचाये, उसकेहित को प्रोत्साहित करें तथा उसके दुःख में काम आये। भूदान के महत्व को स्पष्ट करते हुए विनोबा जी ने कहा कि समय आ गया है कि लोग ईश्वर प्रदत्त इस भूमि को स्वयं ही आपस मे स्वेछापूर्वक बॉट लें ताकि भूमि से व्यक्तिगत अधिकार को सदा सर्वदा के लिये समाप्त किया जा सकें। भूदान का उद्देश्य भूमि के स्वामित्व पर अधिकार का ऐच्छिक रूप से समाप्त करना है कि जिससे सामाजिक न्याय का आश्वासन प्रदान किया जा सके तथा धन का समुचित वितरण हो सके। विनोबा जी ने लोगों से इस

बात की अपील कि वे अपनी भूमि का छठवां भाग दान कर दें ताकि भूमिहीनों को भी भू–स्वामित्व प्राप्त हो सके।

भूदान का आधार निम्नलिखित हैः–

1. भूदान की भूमि पर होने वाले उत्पादन का बीसवाँ भाग ग्रामकोष के लिये दान किया जाए।
2. गॉव में पायी जाने वाली सम्पूर्ण भूमि का छठवाँ भाग दान कर दिया जाय ।
3. भूदान में प्राप्त हुई भूमि का निर्धनों में वितरण कर दिया जाए ।
4. गाँव के झगड़ों को गाँव के स्तर पर ही सुलझाया जाए।
5. गॉव के उत्थान से सम्बन्धित सभी निर्णय लोकमत अथवा सर्वसम्मति के आधार पर लिये जॉय, मतदान के आधार पर नहीं ।

वैश्वीकरण व मानव विकास :–विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को वस्तुओं तथा सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूँजी तथा यहाँ तक कि श्रम अथवा मानव पूंजी के बेरोकटोक प्रवाह के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इस प्रकार, वैश्वीकरण के चार प्रतिमान हैः–

(i) राष्ट्र राज्यों के मध्य वस्तुओं व सेवाओं के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए व्यापार अवरोधकों में कमी।

(ii.) ऐसे वातवारण का निर्माण करना जिसमें राष्ट्र राज्यों के मध्य पूंजी के निवेश हेतु निरन्तर प्रवाह हो सके।

(iii.) प्रौद्योगिकी के प्रवाह को अनुमति देने वाले वातावरण का निर्माण करना ।

(iv.) विकासशील देशों के दृष्टिकोण के अनुसार, ऐसे वातावरण का निर्माण करना, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के मध्य मानव शक्ति व श्रम का आदान–प्रदान सुगमतापूर्वक हो सके।

वैश्वीकरण के इस दौर में पूरी दुनिया में बड़ा उथल–पुथल हो रहा है। एन्थोनी गिडेनस ने अपनी पुस्तक दि कान्सीक्वेन्सेज ऑफ मॉडर्निटी (The Consequences of Moderity, 1990) में वैश्वीकरण की व्याख्या विस्तार पूर्वक की है। उनका कहना है विभिन्न लोगों और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के बीच बढ़ती हुई अन्योन्याश्रिता या पारस्परिकता ही वैश्वीकरण है। यह पारस्परिकता सामाजिक और आर्थिक संबंधों में होती है। इसमें समय और स्थान सिमट जाते हैं। इसी संदर्भ में गांधी जी के इस वक्तव्य को भी देखना होगा। वे लिखते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरा मकान चारों ओर दीवारों से घिरा हो और मेरी खिड़कियां बन्द हों। मैं तो चाहता हूँ कि सभी देशों की सांस्कृतियों की हवाएं मेरे घर में जितनी भी आजादी से बह सके बहे। लेकिन मैं यह नहीं चाहताकि उनमें से कोई भी हवा मुझे मेरी जड़ों से ही उखाड़ दे।”

हम दूसरे देशों में जाते रहे हैं और दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ आते रहे हैं। व्यापारिक लेन–देन और सांस्कृतिक अदान–प्रदान भी हम हमेशा करते रहे हैं। इन प्रक्रिया में भी शेष देश से कभी कटे नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा जुड़ते रहे हैं। अतःयह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। किन्तु भारत में वैश्वीकरण समता, न्याय और विश्व–बन्धुत्व के आधार पर होना चाहिए। वैश्वीकरण के संबंध में यह आम धारणा है कि समाजवाद समाप्त हो गया है और पूँजीवाद विश्व–विजेता बन गया है। अतः भारत को भी अब समाजवाद का स्वप्न देखना बंद कर देना चाहिए और पूँजीवाद को ही अपनी नियति मान लेना चाहिए। इस धारणा का प्रचार यह कहते हुए किया जा रहा है कि पूँजीवाद की गति के नियमों के अनुसार सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था एक हो गई है अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पूँजीवाद से जोड़ना तथा घरेलू आर्थिक नीतियों को पूँजीवादी का सिद्धान्त बनाकर चलना अनिवार्य हो गया है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री दिलीप एस० स्वामी ने अपनी पुस्तक विश्व बैंक और भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण में विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और नियमों से भारत की नई आर्थिक नीति का संबंध स्पष्ट करने वाले बहुत से अन्य और आँकड़े देकर यह सिद्ध किया गया है कि भारत में वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई है वह स्वाधीनता के समय से चली आ रही है। इसका उद्देश्य न तो गरीबी और न बेरोजगारी को कम करना है और न लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी करता है। इसका मुख्य जोर आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप को न्यूनतम करना और बाजार की अदृश्य शक्तियों को तथा कीमतों की प्रक्रिया को छूट देता है कि वे राष्ट्रीय संसाधनों को जहाँ चाहे वहाँ लगायें। भारत ने उन वैश्विक बाजार, शक्तियों के आगे घुटने टेक दिये हैं जिन पर बहुराष्ट्रीय निगमों का अधिपत्य हैं।

मानव विकास रिपोर्ट (2000) :– संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (UNDP) के अन्तर्गत प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिक युग वस्तुतः वैश्वीकरण का युग है। यह रिपोर्ट कहती है कि वैश्वीकरण दुनिया के लिये नया नहीं है। इसका प्रारंभ 16वीं शताब्दी से हैं। लेकिन आज का वैश्वीकरण अतीत के वैश्वीकरण से भिन्न है। इस रिपोर्ट ने वैश्वीकरण को चार विशेषताओं द्वारा परिभाषित किया है:–

(1) नये बाजार (New Market):– विदेशी विनिमय और पूँजी बाजार वैश्वीय स्तर पर जुड़े हुए हैं और ये बाजार चौबीसों घंटे काम करते हैं। इनके लिए भौतिक दूरियां कोई अर्थ नहीं रखतीं।

(2) नये उपकरण (New Tools) :– आज के विश्व में लोगों के लिए कई नये उपकरण आ गये हैं। इनमें इंटरनेट लिंक्स, सेल्यूलर फोन्स और मीडिया तंत्र सम्मिलित हैं।

(3) नये एक्टर या कर्ता :– वैश्वीकरण की प्रक्रिया ऐसी हैं जिसमें कार्यों का संपादन करने के लिए कई कर्ता हैं। इन कर्ताओं में विश्व व्यापार संगठन, गैर सरकारी संगठन, रेडक्रास आदि सम्मिलित हैं ।

(4) नये नियम :– अब सारे काम संविदा के माध्यम से होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों दुनिया भर के राष्ट्र राज्यों के साथ सीधा व्यपार समझौता करती हैं। ये कतिपय नये नियम हैं जो वैश्वीकरण के आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता देते हैं।

मानव विकास पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव :–

1) संयुक्त राष्ट्र, IMF, विश्व बैंक, OECD तथा विश्व व्यापार संगठन जैसे कई अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने वैश्वीकरण के विचार को अपनाते हुए माना है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार में वृद्धि होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है।

2) राष्ट्रों के मध्य अधिक मात्रा में आयात–निर्यात होने के कारण विश्व की समृद्धि बढ़ी है और यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि संपूर्ण विश्व में सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम बनाये गये हैं जिनका पालन करना उनके लिए आवश्यक हैं।

3)अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के मतानुसार वैश्वीकरण के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य व्यापारिक समुदायों के मध्य श्रम, मानव अधिकार, पर्यावरण इत्यादि सेसंबंधित मानकों से जुड़े हुए मूल्यों को स्थापित किया गया है तथा इसकी उन्नति के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं ।

4)वैश्वीकरण के समर्थक यह कहते हैं कि इस बात के बहुत से साक्ष्य मिल जायेंगे कि विभिन्न गरीब देशों में से जिन देशों में दूसरे देशों के साथ व्यापार स्थापित किया है उनमें से अधिकांश की आय में वृद्धि तथा जिसने अन्य देशों के साथ व्यापार स्थापित नहीं किया उनकी गरीबी में वृद्धि देखी गयी हैं।

5)ऐसे कुछ देश जिन्होंने सीमा संबंधी करों एवं नियमों में भारी कमी की है, उन्होंने रोजगार व राष्ट्रीय आय में वृद्धि कुछ हद तक कर प्राप्त कर ली है, क्योंकि वैश्वीकरण के माध्यम से श्रम व पूँजी का मात्र आयात ही नहीं किया जा रहा है बल्कि एक बृहद स्तर पर इसका निर्यात होने पर बहुत अधिक लाभ मिल रहा है।

6)यह कहा जाता है कि कोई देश जितना अधिक अन्य देशों से व्यापार करता है, वहां के नागरिकों का जीवन स्तर उतना ही सुधरता है।

7)बहुत से विकासशील देशों, मैक्सिको, तुर्की, थाइलैण्ड आदि ने अपनी अर्थव्यवस्था में उन्नति का अनुभव करते हुए वैश्वीकरण के पक्ष में आवाज उठायी है।

8) आस्ट्रेलिया के भूतपूर्व विदेश मंत्री ने कहा था कि वैश्वीकरण ने आस्ट्रेलिया में सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, पारिवारिक आय व जीवन स्तर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

(9) वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके कारण श्रम– संबंधी कार्यों व आर्थिक संरचना में महिलाओं की भागेदारी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है।

(10) वैश्वीकरण के कारण बाजार की संरचना में वृद्धि हुई है। जिसके कारण स्थानीय समुदाय से लोगों का सम्पर्क छूटता जा रहा है इसका सकारात्मक पहलू यह है कि बाजार से संबंधित संबंधों में प्राथमिक लगाव

की भावना कम हो गयी है जिससे व्यक्ति भावनात्मक सहारा प्राप्त करने हेतु अपने परिवार पर अधिक निर्भर हो गया है।

मानव विकास पर वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव :– मानव विकास रिपोर्ट (UNDP 2001) ने वैश्वीकरण के दुष्परिणामों को निम्न बिन्दुओं में रखा हैं :–

(1) वैश्वीकरण ने मानव सुरक्षा को एक अजीब तरह की धमकी दी है। एक ओर तो धनी और समृद्ध देश है जिनमें पूरी राजनीतिक स्वतंत्रता है, स्थायित्व है और दूसरी तरफ गरीब देश हैं, जिनमें विपन्नता है और नागरिक नाम मात्र को भी नहीं है। अमेरिका जैसे धनाढ्य देश में आधी रात को आदमी सिर ऊँचा उठा के चहलकदमी कर सकता है उसकी पूरी सुरक्षा है दूसरी ओर स्वतंत्रता से अपने दैनिक काम–काज चला पाना नागरिकों के लिए दूभर हो जाता है। कब, किस समय गाज गिर पड़े, इसकी कोई सुरक्षा नहीं।

(2) यह सही है कि नई सूचना और संचार तकनीकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा लोगों को एक सूत्र में बांध दिया है पर इसका एक यह भी परिणाम निकलता है कि दुनिया के कुछ लोग अपने आप को पृथक समझते हैं। इस विभाजन के कारण भी वैश्वीकरण का विरोध होने लगा है।

(3) वैश्वीकरण के दौरान यह स्थिति है कि धनाढ्य देश ज्ञान पर अपना नियंत्रण रखने लगे हैं। इसके परिणामस्वरूप गरीब हाशिये पर आ गये हैं। वे अपने आपको असुरक्षित समझने लगे हैं। उदाहरण के लिए थाइलैण्ड जैसे देश में अफ्रीका की तुलना में अधिक सेल्यूलर फोन है। दक्षिण एशिया जहाँ दुनिया के 23 प्रतिशत लोग रहते हैं, एक प्रतिशत से कम लोगों के पास टेलीफोन हैं।

(4) लगभग 80 प्रतिशत वेबसाइट में अंग्रेजी भाषा चलती है, जबकि बोलने वालों में दस व्यक्तियों में एक व्यक्ति है।

(5) वैश्वीकरण ने तकनीकि तंत्र को जो सुविधाएँ प्रदान की हैं, उनके प्रयोगों ने दुनिया को दो भागों में बांट दिया है। वैश्वीकरण ने दो समानांतर दुनिया खड़ी कर दी है। एक दुनिया वह है जिसके पास आय है, शिक्षा और शैक्षिक संपर्क है, उसके लिए सूचना प्राप्त करना सरल और सुविधाजनक है और दूसरी ओर दूसरी दुनिया वह है जो अनिश्चित है, धीमी और जिसके लिए सूचना तक पहुंचना महंगा है। जब ये दोनों दुनियाएँ साथ–साथ रहती हैं और प्रतियोगिताएँ करती हैं तो निश्चित रूप से गरीबों की दुनिया पिछड़ जाती हैं।

(6) मानव विकास रिपोर्ट ने अपने उपसंहार में एक पते की टिप्पणी की है। यह कहानी है कि वैश्वीकरण में समय सिकुड़ गया है, स्थान सिकुड़ गया है। राष्ट्रीय सीमाएँ ओझल हो रही हैं, लेकिन यह सब किसके लिए? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट हैं वैश्वीकरण के लाभ और बहुत अधिक लाभ धनवान देशों एवं धनवान लोगों की झोली में गये हैं। आम देश और आम आदमी तो ठगे–ठगे और बिखरे–बिखरे दिखाई देते हैं।

जिस प्रकार इंग्लैण्ड में रस्किन तथा कार्लाइल ने उपयोगितावादियों को विरोध किया, उसी प्रकार गाँधी ने मार्क्स से प्रभावित उन लोगों के विचारों का खण्डन किया जो भारतीय समाज को एक औद्योगिक समाज में बदलना चाहते थे। वैश्वीकरण ने दो समान्तर दुनियाएँ खड़ी कर दी है। एक दुनिया वह है जिसके पास आय है, शिक्षा और शैक्षिक संपर्क है, उसके लिए सूचना प्राप्त करना सरल और सुविधाजनक है और दूसरी ओर दूसरी दुनिया वह है जो अनिश्चित है, धीमी है और जिसके लिए सूचना तक पहुंचना मंहगा है। जब ये दोनों दुनियाएँ साथ–साथ रहती हैं और प्रतियोगिता करती हैं तो निश्चित रूप से गरीबों को दुनिया पिछड़ जाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुलबीर सिंह, भारत में सामाजिक परिवर्तन, अनु प्रकाशन, मेरठ, 1976
2. फैक्वास पोराकस, ए न्यू कान्सेप्ट आफ डेवलपमेन्ट बेसिक टेनेटस यूरेस्को, पेरिस, 1983
3. रत्ना दत्ता, वैल्यूज इन माडेल्स आफ मार्डर्नाइजेशन, विकास पब्लिकेशंस, दिल्ली, बाम्बे बंग्लोर, कानपुर, लंदन, 1971
4. एन० जे० स्मेल्सर, सोश्यल चेन्ज इन दी इन्डस्ट्रियल रिवाल्यूशन, शिकागोः यूनिवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, 1959
5. डैविड सी० मैक्लीलैण्डःदी अचीमिंग सोसायटी (प्रिंस्टन न्यू जेरेशी डी बान नास्टैण्ड कम्पनी, इन्क 1961